

सेवा में,

श्रीमान निरीक्षक महोदय जी,
वन विभाग नारायणगढ़ (अम्बाला)

विषय:- दरखास्त बराए आम के पेड को कटवाने की अनुमति प्रदान करने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं प्रार्थीया गांव संगरानी तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला की हूँ मैं एक विधवा औरत हूँ और मेरे पास एक लडका 14 साल का है। मेरे घर के बाड़े में आम का पुरान पेड खडा है जो कि अब फल दार नही रहा है इसपर फल नही लगते है वा इस पेड से टच होकर बिजली की तार गुजरती है जिस कारण बरसात के दिनों में इसमें करन्ट आ जाता है और मुझ प्रार्थीयां को वा मेरे लडके वा मेरे पालतु पशुओं को भी एक दो बार करन्ट लग चुका है। उपरोक्त पेड से अपने आप टुट कर टाहनियां भी नीचे गिर जाती है और कुछ समय पहले मेरे उपर एक टहनी टुटकर गिरी थी जिससे मैं बाल बाल बची थी। मैं एक विधवा औरत हूँ और मैं इस पेड की वजह से की वजह से काफी परेशान हूँ इसलिए मैं उपरोक्त पेड को कटवाना चाहती हूँ।

अतः जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त पेड को कटवाने की अनुमति देने की कृपा करे आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक:- 08.09.2015

प्रार्थीया कमलेश कौर

कमलेश कौर विधवा श्री रघबीर सिंह
निवासी संगरानी तहसील
नारायणगढ़ जिला अम्बाला

8-9-2015

साल
मोवा सिंह
कमलेश कौर

Sally
10/9/15

श्रीमान जी
प्रार्थीया के नाम पर पेड काटने का आदेश
दिए जायेगा।

RA. Singh

मौका निरीक्षण करके
रिपोर्ट करके वन हाजिरी अधिकारी

dt 10/9/15

No 367A

मूल रूप में वन मण्डल के प्राचीन
कमलेश कौर का प्राचीन-फर पत्र जारी करने
के लिए प्रेषित है।


वन राजिक अधिकारी
नारायणगढ़

शक्ति सिंह का नाम

शक्ति सिंह का नाम
नारायणगढ़

शक्ति सिंह का नाम
नारायणगढ़

शक्ति सिंह का नाम
नारायणगढ़

शक्ति सिंह का नाम
नारायणगढ़

शक्ति सिंह का नाम
नारायणगढ़